न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 42 / 2024

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –
1. अशोक पुत्र गोविंदराम जाति सिंधी निवासी महावीर नगर, बाड़मेर (मैसर्स अशोका नमकीन, लक्ष्मी सिनेमा के पास, बाडमेर का विक्रेता एवं मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश गोयल उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 09.04.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स अशोका नमकीन, लक्ष्मी सिनेमा के पास, बाडमेर** पर निरीक्षण दिनांक **07.11.2023** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **ग्राउण्ड नट ऑयल लूज**, जो **एक टीन में** भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500–500 एमएल **ग्राउण्ड नट ऑयल लूज** की कुल 4 बोतलें वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2420** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी संख्या 1 एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **ग्राउण्ड नट ऑयल लूज** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **ग्राउण्ड नट ऑयल लूज** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त माल का सीलबंद हालत में विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक भेजे जाने के संबंध में लिंक साक्ष्य के अभाव में मामला खारिज योग्य है। फूड एनालिस्ट जोधपुर ने जो नमूने के जांच की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को माल के अवमानक एवं प्रतिबंधित के निर्धारित मापदण्डों के स्तर के पाए जाने पर एफ. एस.एल. रिपोर्ट अनुसार उक्त माल को संबंधित माल निर्माता को दुरूस्ती हेतु सुपूर्द किया जाना आवश्यक था। फिर भी उपरोक्त माल को लंबे समय तक रोककर रखने एवं माल का निस्तारण का आवेदन प्रस्तुत नहीं करने से विधि अनुसार विप्रार्थी के अधिकारों का हनन हुआ है। विप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त आवेदन का निस्तारण फरमाया जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **22.11.2023** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाया गया। अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया किउपरोक्त माल का सीलबंद हालत में विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक भेजे जाने के संबंध में लिंक साक्ष्य के अभाव में मामला खारिज योग्य है। फूड एनालिस्ट जोधपुर ने जो नमूने के जांच की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को माल के अवमानक एवं प्रतिबंधित के निर्धारित मापदण्डों के स्तर के पाए जाने पर एफ.एस.एल. रिपोर्ट अनुसार उक्त माल को संबंधित माल निर्माता को दुरूस्ती हेतु सुपूर्द किया जाना आवश्यक था। फिर भी उपरोक्त माल को लंबे समय तक रोककर रखने एवं माल का निस्तारण का आवेदन प्रस्तुत नहीं करने से विधि अनुसार विप्रार्थी के अधिकारों का हनन हुआ है। विप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त आवेदन का निस्तारण फरमाया जावे। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब पेश नहीं किया है। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रूपये 20,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 09.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर